

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 618 / 1जी- FP/UK/SCH/18587/2016 देहरादून: दिनांक: 22 अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु 0.95 है
वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है 0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है 0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित न होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार) 16
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी- FP/UK/SCH/18587/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
- प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।
- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी, देहरादून।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद देहरादून के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण हेतु 0.95 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन।

2. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु चक्राता वन प्रभाग में 0.95 है। आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अड़लोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त भवन निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, चक्राता वन प्रभाग, चक्राता तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः देहरादून के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालसी के भवन निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भारती
2018)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : २२/०८/२०१६

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून